रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 903] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939
No. 903] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1365(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियमन, 2003 में संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता हैः—

1. (1) इन विनियमनों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (संशोधन) विनियमन, 2017 कहा जा सकता है।

   (2) ये विनियमन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आएंगे।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनिमयन, 2003 में अनुसूची और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित अनुसूची और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामतः—

"अनुसूची [विनियमन 2 (ज) देखें]

आयोग के पदों के संबंध में नियमित स्थापना नियुक्ति प्राधिकारी, शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के अधीन पदों को दर्शाने वाली तालिका

क्रम संख्या	पदों का समूह	नियुक्ति प्राधिकारी	लघु और बड़ी शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा तदनुरूपी अपीलीय प्राधिकारी	
			अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1.	समूह 'क'	आयोग	आयोग	माननीय मंत्री, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रशासनिक मंत्रालय
2.	समूह 'ख'	आयोग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
3.	समूह 'ग'	आयोग	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी।"

टिप्पणी : मूल विनियमन दिनांक 26 मई, 2003 के अधिसूचना सं.सा.का.नि. 433(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए।

[फा. सं. 15(1)/2006-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2017

G.S.R. 1365(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 27 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Commission, with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following regulations to amend the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and appeal) (Amendment) Regulation, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003, for the Schedule and the entries relating thereto, the following Schedule and entries shall be substituted, namely:—

"Schedule [see regulation 2(h)]

Table showing description of posts under regular establishment Appointing Authority, Authority competent to impose penalties and Appellate Authority in respect of the posts of the Commission

Serial No.	Group of Posts	Appointing Authority	Authority competent to impose Minor or Major penalty and corresponding Appellate Authority	
			Disciplinary Authority	Appellate Authority
1.	Group 'A'	Commission	Commission	Hon'ble Minister, Administrative Ministry of KVIC
2.	Group 'B'	Commission	Chief Executive Officer	Chairman
3.	Group 'C'	Commission	Joint Chief Executive Officer	Chief Executive Officer".

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 433(E), dated the 26th May, 2003.

[F. No. 15(1)/2006-KVI-II]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.11.08 16:04:04 +05'30'